अनुसूची-III

SCHEDULE-III

स्कूल पास

SCHOOL PASS

अनुसूची-III

नियम 7 देखिए

स्कूल पास

प्रवर्ग	हकदारी की शर्तें	हकदारी
1	2	3
ग्रुप क, ख, ग और घ	(i) स्कूल चैक पास ऐसे प्रत्येक छात्र पुत्र/पुत्री जो रेल सेवक पर आश्रित है, उसे मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र पेश करने पर निर्धारित अनुसूची में विशिष्ट सूची के अन्तर्गत यात्राओं के लिए जारी किया जा सकता है जहां छात्र रेल सेवक के मुख्यालय से दूर पढ़ रहा है। इस प्रमाण-पत्र से यह पता लगना चाहिए कि वास्तव में छात्र पुत्र/पुत्री उस मान्यता प्राप्त संस्था में पढ़ रहा/रही हैं।	धारक को एक वर्ष में 3 सैटों या 6 अर्ध-सैटों का उपभोग करने का और निम्नलिखित का हकदार बनाता है। (i) उस श्रेणी का पास जारी किए जाने का जिसका रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है। बहरहाल, ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों, जो साधारणतः प्रथम श्रेणी पास के पात्र नहीं है, जो विशेष तौर पर स्कूल सत्र के दौरान उनके घरों से देहरादून तक और स्कूल सत्र के समाप्त होने पर देहरादून से उनके घरों तक प्रथम श्रेणी के पास जारी किये जा सकते हैं। ऐसे मौकों पर मार्गरक्षियों (स्कूल अध्यापकों) को भी अप और डाउन यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी के लिए पास जारी किये जा सकते हैं।
	(ii) उस दशा में जिसमें पति और पत्नी दोनों रेल सेवक हो, पास दोनों में किसी के लेखे में अनुज्ञात किया जाएगा।	
	(iii) 18 वर्ष से कम की आयु के लड़के और किसी भी आयु की लड़की की दशा में माता या संरक्षक को जारी किए गए पास में सम्मिलित किए जा सकेंगे।	(ii) माता-पिता में से किसी एक से मिलने के लिए स्कूल या महाविद्यालय से रेल सेवक के मुख्यालय तक और स्कूल या महाविद्यालय वापस जाने तक के लिए यात्रा करने का/यह कम से कम लगातार तीन दिन के (जिनमें रविवार सम्मिलित है) मान्यता प्राप्त लगातार अवकाशों की दशा में या अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण संस्था के बंद होने की दशा में होना चाहिए।
	(iv) किसी माता/पिता जिसमें सौतेले माता/पिता भी सम्मिलित होंगे या संरक्षक की बर्हियात्रा या वापसी यात्रा पास में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे छात्र को लाने के लिए अकेले स्कूल/कालिज छोड़ने के बाद लौटने के लिए अलग पास जारी किया जा सकेगा और इस प्रकार जारी किया गया/किए गए स्कूल पास के एक अर्ध-सैट के भाग समझे जाएंगे, अर्थात् उनकी गणना एक अलग अर्ध-सेट के रूप में नहीं की जाएगी। यदि संरक्षक परिचर है तो उसे केवल दूसरी श्रेणी का पास जारी किया जाएगा,	(iii) स्कूल या महाविद्यालय से रेल सेवक के मुख्यालय में भिन्न किसी ऐसे स्थान तक की जहां माता-पिता में से कोई एक निवास करता है और स्कूल या महाविद्यालय से वापस जाने तक की यात्रा करने का।
	(v) स्कूल पास उन छात्रों को अनुज्ञेय है जिसमें सम्मिलित वे छात्र जो अनुसंधान कार्य में लगे हैं और कोई वृत्ति छात्रवृत्ति इसके अलावा योग्यता/साधन नहीं पा रहे हैं।	(iv) प्रवेश लेने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था तक और वापस रेल सेवक के मुख्यालय तक की यात्रा करने का। (v) संयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था तक और वापस रेल सेवक के मुख्यालय तक की यात्रा करने का

1	2	3
	(vi) 21 वर्ष से अधिक आयु के वे छात्र जो एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करके एक वर्ष से आवर्ती इंटर्नशिप कर रहे हैं, स्कूल पासों के पात्र है और वे अपने माता-पिता के सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों में भी सम्मिलित किए जाने के लिए अनुज्ञात किए जा सकते हैं, भले ही वे वृत्तिका पा रहे हों, परन्तु यह तब, जब वह उसके उस आर्युविज्ञान पाठ्यक्रम का भाग रूप हो जिसे एम.बी.बी.एस. की उपाधि दी जाने का पात्र होने के पूर्व पूरा किया जाना है। **टिप्पणी.**—रेल कर्मियों के 21 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र पुत्र/पुत्रियां जो होम्योपैथी/सिद्ध/यूनानी एवम् आयुर्वेद में डिग्री पाठयक्रम पढ़ रहे हों, उन्हें एम.बी.बी.एस. के बराबर समझा जाएगा एवं उन्हें उसी प्रकार का स्कूल/सुविधा पास उपलब्ध कराया जाएगा यदि संस्थान यह प्रमाणित कर दे कि यह पाठ्यक्रम का नियमित भाग है।	(vi) परीक्षा केन्द्र तक यात्रा.— (क) प्रवेश-फार्म जमा कराने एंव परीक्षा देने के लिए तथा मुख्यालय तक वापसी, (ख) स्कूल या महाविद्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान में परीक्षा देने जाने के लिए परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा करने का (vii) यदि उससे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने के लिए पुरुष आदि प्रधानाध्यापक प्राचार्य आदि के अपेक्षा की जाती है तो उस स्टेशन तक जहां प्रधानाध्यापक आदि ठहरा हो और वापस मुख्यालय तक की यात्रा करने का, (viii) जब उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या रेल सेवक के मुख्यालय पर प्रवेश के लिए स्कूल/महाविद्यालय से हटाया गया हो तब वापिस रेल सेवक के मुख्यालय तक यात्रा करने का और (ix) स्कूल पाठ्य विवरण के भाग रूप किसी शैक्षणिक यात्रा करने का। (x) स्कूल चैक पास में बनाये गए पृष्ठांकन द्वारा मुफ्त भार अनुज्ञेय के अतिरिक्त में पास में साईकल को ले जाना। (xi) यदि विदेश में पढ़ रहे हों तो विदेश जाने के लिए नियत स्थान तक या वहां से वापसी के लिए। यह इस बात को प्रमाणित करने के बाद होगा कि छात्र पुत्र/पुत्री को विदेश के कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है और उसे एक विशेष तारीख को कार्यभार ग्रहण करना है अथवा छात्र पुत्र/पुत्री विदेश में किसी कालेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद लौट रहे है। **टिप्पणी.**—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए स्कूल/महाविद्यालय से शैक्षिक और वृत्तिक दोनों प्रकार के व सभी स्कूल और महाविद्यालय अभिप्रेत है जिन्हें राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से मान्यताप्राप्त हो (इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भातीय सैनिक अकादमी, देहरादून, सशस्त्रबल प्रशासनिक कालेज, कोयम्बतूर जैसी सरकारी सैनिक शिक्षा संस्था और शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद/कलकत्ता/पटना, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई आदि जैसी कोई शिक्षा संस्था। (2) प्रौढ़ व्यक्तियों, मजदूरी कमाने वाले व्यक्तियों को खाली समय में शिक्षा देने के लिए आशियत दिन/रात्रि प्रौढ़ पाठशालाओं जैसी संस्था, स्कूल/महाविद्यालय की परिभाषा में नहीं आ आती हैं। स्कूल/कालेज की परिभाषा में उन स्कूलों/कालेजों को शामिल नहीं किया गया है जो पार्ट टाइम/पत्राचार शिक्षा दे रहे हों। (3) यदि पास में उल्लिखित हो तो स्कूल पासपर यात्रा के समय ब्रेक की अनुमति है। (4) ऐसे मामलों में जहां स्कूल पास रेल कर्मचारी के मुख्यालय या माता-पिता के स्थायी निवास से अलग किसी स्थान से मांगा जाता है तब ऐसे पासों को जारी करने की अनुमति राजपत्रित अधिकारी से लेनी होगी जो तथ्यों को जांच करके अनुमति देगा तथा साथ ही उन कारणों को रिकार्ड करेगा जिसके कारण वह संतुष्ट होकर अनुमति दे रहा है।

1	2	3
		(5) ऐसे मामलों में जहां स्कूल पास रेल कर्मचारी के मुख्यालय के अतिरिक्त किसी स्थान से मांगा जाता है जहां माता-पिता में से कोई एक अस्थायी रूप से, यहां तक कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी रह रहा हो तो राजपत्रित अधिकारी के अनुमति से पास जारी किया जा सकता है। (6) किसी कर्मचारी के प्रिविलेज पासों को रोकने का स्कूल पासों के जारी करने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। (7) मुअतली के मामलों में भी रेल कर्मचारी ऐसे पास ले सकता है। (8) ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं, प्रत्येक बच्चे को प्रति वर्ष पति के लेखे में या पत्नी के लेखे में से ही पास जारी किया जाए ताकि इसे सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को स्कूल पासों की निर्धारित सीमा से अधिक न मिल सके। पति और पत्नी को किसी वर्ष दौरान पहली बार पास मांगते समय संयुक्त रूप से विकल्प देना होगा।
ग्रुप क, ख और घ	स्कूल कार्ड पास रेल सेवक के कुटुंब के छात्र सदस्य को उस मान्यता प्राप्त संस्था का जहां छात्र अध्ययन कर रहा है, प्रमाण-पत्र पेश करने पर रेल सेवक के निवास स्थान के स्टेशन और स्कूल के निकटतम स्टेशन के बीच यात्रा करने के लिए जारी किया जायेगा इन शर्तों पर जैसे दूरी इत्यादि का प्रतिबंध, जो स्थानीय परिस्थितियों में ऐसे पासों को जारी करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा लगाई जाए।	(i) रेलवे कर्मचारियों के ग्रुप "क" या ग्रुप "ख" के मामले में उनके पुत्र/पुत्री छात्र की प्रथम श्रेणी स्कूल कार्ड पास जारी किए जायेंगे। (ii) ग्रुप "ग" के रेलवे कर्मचारियों के मामले में जिनकी नियुक्ति 1-4-1987 से पहले हुई है जिनका वेतन 2060/- रुपये या न्यूनतम रूपये 2000 के स्तर तक उनके पुत्र/पुत्रियों छात्रों को प्रथम श्रेणी के स्कूल कार्ड पास जारी किये जाएगें। (iii) ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" के रेलवे कर्मचारियों के मामले में जिनकी नियुक्ति 1-4-87 से पहले हुई है और उनका वेतन रुपये 2000 से कम है उनके पुत्र/पुत्रियों छात्रों को द्वितीय श्रेणी का स्कूल कार्ड पास जारी किया जायेगा। (iv) ग्रुप "ग" के रेलवे कर्मचारियों के मामले में जिनकी नियुक्ति 1-4-1987 के बाद में हुई है और जिनका वेतन 2301/- रुपये या इससे अधिक और 2000 रुपये न्यूनतम स्तर के हों उनके पुत्र/पुत्रियों छात्रों को प्रथम श्रेणी का स्कूल कार्ड पास जारी किया जायेगा। (v) ग्रुप "ग" और "घ के रेलवे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 1-4-1987 के बाद हुई है और जिनका वेतन 2301 रुपये से कम है उनके पुत्र/पुत्रियों छात्रों को द्वितीय श्रेणी का स्कूल कार्ड पास जारी किया जाएगा। (vi) गैर उपनगरीय खंडों में, बहरहाल, विशेषाधिकार लेखा के साधारण श्रेणी के पात्र ही स्वीकार्य हैं।